रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 23, 2004/फाल्गुन 4, 1925
No. 87] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 23, 2004/PHALGUNA 4, 1925

वित्त मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2004

सा.का.नि. 131(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 605क के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती हैं,अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (भारतीय निक्षेपागार रसीदों का निर्गमन) नियम, 2004 है ।

(ii) ये राजपत्र में उनकी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख़ को प्रवृत होंगे ।

2. लागू होना -

ये नियम केवल ऐसी कंपनियों को ही लागू होंगे जो भारत से बाहर निगमित हैं भले ही उन्होंने भारत में अपना कारबार का कोई स्थान स्थापित किया है या नहीं ।

3. परिभाषाएं -

(i) (क) " मुख्य लेखाअधिकारी" से किसी कंपनी का मुख्य लेखा और वित्त अधिकारी अभिप्रेत है चाहे वह किसी नाम से ज्ञात हो ;

(ख) "निक्षेपागार" से निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में यथापरिभाषित निक्षेपागार अभिप्रेत है ;

(ग) "देशी निक्षेपागार" से प्रतिभूतियों का ऐसा अभिरक्षक अभिप्रेत है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे इसमें इसके पश्चात् सेबी कहा गया है, में रजिस्ट्रीकृत है और भारतीय निक्षेपागार रसीदों का निर्गमन करने के लिए निर्गमन करने वाली कंपनी द्वारा प्राधिकृत है ;

(घ) "भारतीय निक्षेपागार रसीद" (जिसे इसमें इसके पश्चात् " आईडीआर" कहा गया है) से भारत में देशी निक्षेपागार द्वारा निर्गमन करने वाली कंपनी के अधःस्त साधारण शेयरों के विरूद्ध जारी निक्षेपागार रसीद के रूप में कोई लिखत अभिप्रेत है ;

(ङ) "निर्गमन करने वाली कंपनी" से भारत के बाहर निगमित ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जो देशी निक्षेपागार के माध्यम से आईडीआर का निर्गमन कर रही है ;

(च) "वाणिज्यिक बैंककार" से सेबी (वाणिज्यिक बैंककार) नियम, 1992 के नियम 2 के खंड (ङ) में यथापरिभाषित वाणिज्यिक बैंककार अभिप्रेत है ;

(छ) "विदेशी अभिरक्षक बैंक" से ऐसी बैंककारी कंपनी अभिप्रेत है जो भारत के बाहर किसी देश में स्थापित है और भारत में जिसका कारबार का स्थान है तथा निर्गमन करने वाली कंपनी के उन साधारण शेयरों के लिए अभिरक्षक के रूप में कार्य करती है जिनके विरूद्ध भारत में ऐसा कारबार करने के लिए वित्त मंत्रालय से अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के पश्चात् आईडीआर निर्गमित करने का प्रस्ताव है ;

(ज) "सेबी" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अभिप्रेत है ।

(ii) ऐसे शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किंतु कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), भारतीय प्रतिभुति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) या इन अधिनियमों के अधीन विरचित नियमों और विनियमों में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो संबंधित अधिनियमों में हैं ।

4. आईडीआर के निर्गमन के लिए पात्रता -

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 में किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निर्गमन करने वाली कंपनी आईडीआर केवल तभी निर्गमित कर सकेगी जब वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा कर देती है :-

(क) उसकी पूर्व निर्गमन समादत्त पूंजी और खुली आरक्षितियां कम से कम सौ मिलियन अमरीकन डालर की हों और उसका निर्गमन से पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औसत आवर्त पांच सौ मिलियन अमरीकन डालर का रहा हो ।

(ख) वह निर्गमन कि पूर्ववर्ती कम से कम पांच वर्षों तक लाभ कमाती रही हो और उक्त अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष कम से कम दस प्रतिशत का लाभांश घोषित करती रही हो ।

(ग) उसका पूर्व निर्गमन ऋण साधारण शेयर औसत 2 : 1 से अधिक न रहा हो ।

(घ) वह सेबी द्वारा इस निमित्त समय समय पर अधिकथित पात्रता के मानदंड को पूरा करेगी ।

5. आईडीआर का निर्गमन करने की प्रक्रिया -

(i) (क) कोई भी निर्गमन करने वाली कंपनी भारत में आईडीआर के निर्गमन द्वारा तब तक निधियां इक्कठी नहीं करेंगी जब तक कि उसने सेबी से पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त न कर ली हों ।

(ख) खंड (क) के अधीन अनुज्ञा की ईप्सा करने वाला आवेदन सेबी को निर्गमन के आरंभ की तारीख से कम से कम नब्बे दिन पूर्व ऐसे प्ररूप में ऐसी सूचनाएं देते हुए, जो समय समय पर अधिसूचित की जाएं, दस हजार अमरीकन डालर की अप्रतिदेय फीस के साथ किया जाएगा :

परंतु अनुज्ञा अनुदत्त किए जाने पर आवेदक दस लाख रूपए की न्यूनतम फीस के अधीन रहते हुए निर्गमन मूल्य के आधे प्रतिशत की निर्गमन फीस का संदाय करेगा जहां निर्गमन भारतीय रूपयों में सौ करोड़ रूपए तक है :

परंतु यह और कि जहां निर्गमन मूल्य सौ करोड़ रूपए से अधिक है वहां निर्गमन का प्रत्येक अतिरिक्त मूल्य उस निर्गमन मूल्य के 0.25 प्रतिशत की फीस के अध्यधीन होगा ।

(ग) सेबी, खंड (क) के अधीन अनुज्ञा की ईप्सा करने वाले आवेदन की प्राप्ति पर, ऐसी और जानकारी और स्पष्टीकरणों की मांग कर सकेगा जो ऐसे आवेदन के निपटारे के लिए आवश्यक हों ।

(घ) निर्गमन करने वाली कंपनी अपने निगमन के देश से सक्षम प्राधिकारियों से पूंजी के निर्गमन से संबंधित सुसंगत विधियों के अधीन, जहां अपेक्षित हों, आवश्यक अनुमोदन या छूट अभिप्राप्त करेगा ।

(ङ) निर्गमन करने वाली कंपनी, आईडीआर के निर्गमन के प्रयोजन के लिए विदेशी अभिरक्षक बैंक, देशी निक्षेपागार और वाणिज्यिक बैंककार को नियुक्त करेगी ।

(च) निर्गमन करने वाली कंपनी विदेशी अभिरक्षक बैंक को अधःस्त साधारण शेयर परिदत्त करेगी या परिदत्त कराएगी और उक्त बैंक देशी निक्षेपागार को आईडीआर निर्गमित करने के लिए प्राधिकृत करेगा ।

(छ) निर्गमन करने वाली कंपनी विनिर्दिष्ट प्ररूप में कंपनी रजिस्ट्रार और सेबी के पास सम्यक तत्परता रिपोर्ट वाणिज्यिक बैंककार या देशी निक्षेपागार के माध्यम से फाइल करेगी ।

(ii) (क) निर्गमन करने वाली कंपनी, ऐसे निर्गमन से पूर्व, सेबी और कंपनी रजिस्ट्रार, नई दिल्ली के पास वाणिज्यिक बैंककार के माध्यम से, निर्गमन करने वाली कंपनी के दो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा, जिनमें से एक पूर्णकालिक निदेशक होगा और दूसरा मुख्य लेखा अधिकारी होगा प्रमाणित प्रास्पेक्टस या प्रस्थापना पत्र फाइल करेगी, जिसमें बोर्ड उसके संकल्प की विशिष्टियों का कथन किया जाएगा जिसके द्वारा उसका अनुमोदन किया गया था ।

(ख) प्रारूप प्रास्पेक्टस या प्रारूप प्रस्थापना पत्र सेबी के पास वाणिज्यिक बैंककार के माध्यम से खंड (क) के अधीन फाइल किए जाने से कम से कम इक्कीस दिन पूर्व फाइल किया जाएगा :

परंतु प्रारूप प्रास्पेक्टस या प्रस्थापना पत्र के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर यदि सेबी उसमें किए जाने वाले कोई परिवर्तन विनिर्दिष्ट करती है तो सेबी/कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्रास्पेक्टस तब तक फाइल नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे परिवर्तन उसमें सम्मिलित न कर दिए गए हों ।

(iii) ऊपर उपनियम (i) के अधीन अनुज्ञा की ईप्सा करने वाली निर्गमन करने वाली कंपनी, ऐसे एक या अधिक स्टाक एक्सचेंजों से सिद्धांततः सूचीबद्ध किए जाने की अनुज्ञा अभिप्राप्त करेगी जिसके भारत में हर जगह व्यापार टर्मिनल हों ।

(iv) निर्गमन करने वाली कंपनी आईडीआर निर्गमन करने की हामी भरने के लिए सेबी के पास रजिस्ट्रीकृत हामीदार नियुक्त करेगी ।

6. आईडीआर के निर्गमन के लिए अन्य शर्तें -

(i) आईडीआर के निर्गमन के आगमों का संप्रत्यावर्तन विदेशी मुद्रा के निर्यात से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधियों के अध्यधीन होगा ।

(ii) आईडीआर के निर्गमन की तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व आईडीआर अधःस्त साधारण शेयरों में मोचनीय नहीं होंगी ।

(iii) किसी निर्गमन करने वाली कंपनी द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में निर्गमित आईडीआर उसकी समादत्त पूंजी और खुली आरक्षितियों के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी ।

(iv) निर्गमन करने वाली कंपनी की प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य के होते हुए भी उसके द्वारा जारी की गई आईडीआर का अंकित मूल्य भारतीय रूपयों में होगा ।

7. दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण -

(i) वाणिज्यिक बैंककार, आईडीआर का निर्गमन करने के लिए, रजिस्ट्रीकरण के लिए सेबी या कंपनी रजिस्ट्रार, नई दिल्ली को निम्नलिखित दस्तावेजें या जानकारी परिदत्त करेगा, अर्थात् :-

(क) निर्गमन करने वाली कंपनी का गठन करने वाली या उसके गठन को परिभाषित करने वाली लिखत ;

(ख) विधि का बल रखने वाली अधिनियमितियां या उपबंध जिनके द्वारा या जिनके अधीन निर्गमन करने वाली कंपनी का निगमन हुआ था, ऐसे उपबंधों की कंपनी के किसी अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित प्रति संलग्न की जाए ;

(ग) यदि निर्गमन करने वाली कंपनी ने भारत में कारबार का स्थान स्थापित कर लिया है तो भारत में उसके प्रधान कार्यालय का पता ;

(घ) यदि निर्गमन करने वाली कंपनी ने भारत में कारबार का प्रधान स्थान स्थापित नहीं किया है तो भारत में ऐसा पता जहां उक्त लिखत, अधिनियमितियां या उपबंध या उनकी प्रतियां लोक निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं और यदि वे अंग्रेजी में नहीं हैं तो निर्गमन करने वाली कंपनी के किसी उत्तरदायी अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित उसका अनुवाद लोक निरीक्षण के लिए रखा जाएगा ;

(ङ) उस देश में जिसमें उस कंपनी का निगमन हुआ है, निर्गमन करने वाली कंपनी के निगमन के प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रति ;

(च) निर्गमन करने वाली कंपनी, विदेशी अभिरक्षक बैंक, देशी निक्षेपागार के बीच किए गए करारों की प्रतियां जो, अन्य बातों के साथ, आईडीआर के धारकों को दिए जाने वाले अधिकारों को विनिर्दिष्ट करेंगे ;

(छ) यदि सेबी/कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित कोई दस्तावेज या उसका कोई भाग अंग्रेजी भाषा में नहीं है तो उस दस्तावेज या उसके भाग का अंग्रेजी में अनुवाद उस दस्तावेज की प्रत्येक प्रति के साथ संलग्न किया जाएगा जिसका सही होना कंपनी के उत्तरदायी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और भारत में उस देश के राजदूतावास या वाणिज्यिक दूतावास के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा ।

(ii) नियम 5 के खंड (ii) के अधीन सेबी और रजिस्ट्रार के पास फाइल किए जाने वाले प्रास्पेक्टस में वे विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी जो अनुसूची में विहित हैं और प्रास्पेक्टस पर निर्गमन करने वाली कंपनी के पूर्णकालिक सभी निदेशकों द्वारा और मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

8. प्रास्पेक्टस और आवेदन प्ररूप जारी करने के लिए शर्तें -

(i) निर्गमन करने वाली कंपनी की प्रतिभूतियों के लिए कोई आवेदन प्ररूप तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि प्ररूप के साथ ऐसा ज्ञापन संलग्न न हो जिसमें विनिर्दिष्ट रूप में प्रास्पेक्टस की मुख्य बातें दी गई हों ।

(ii) कोई भी आवेदन प्ररूप ऊपर खंड (i) में यथाविनिर्दिष्ट ज्ञापन के बिना जारी किया जा सकेगा यदि वह आईडीआर की बाबत हामीदार करार करने के लिए आमंत्रण के संबंध में जारी किया जाता है ।

(iii) निर्गमन करने वाली कंपनी की आईडीआरों की प्रतिश्रुति के लिए प्रास्पेक्टस जिसके अंतर्गत ऐसा कथन भी होगा जो किसी विशेषज्ञ द्वारा किया गया तात्पर्यित हो, तब तक भारत में या विदेश में परचालित, जारी या वितरित नहीं किया जाएगा जब तक यह कथन कि विशेषज्ञ ने उसके जारी किए जाने के लिए अपनी लिखित सहमति दे दी है और उसने सेबी और कंपनी रजिस्ट्रार, नई दिल्ली प्रास्पेक्टस की प्रति परिदत्त किए जाने से पूर्व प्रास्पेक्टस से अपनी सहमति वापस नहीं ली है ।

(iv) प्रास्पेक्टस जारी करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति इस नियम के किसी उपबंध के किसी अनुपालन या उसके उंल्लंघन के लिए कोई दायित्व उपगत नहीं करेगा/करेंगे, यदि -

(क) ऐसे किसी विषय के संबंध में जो प्रकट नहीं किया गया है, वह यह साबित कर देता है कि उसे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी ; या

(ख) ऐसे विषयों की बाबत उत्पन्न उल्लंघन, केन्द्रीय सरकार की राय में महत्वपूर्ण नहीं था ।

9. भारतीय निक्षेपागार रसीद का सूचीबद्धकरण -

इस नियम के अधीन निर्गमित आईडीआर, नियम 5 के खंड (iii) में यथाविनिर्दिष्ट भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज/एक्सचेंजों में सूचीबद्ध की जाएंगी और ऐसी आईडीआर विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,य 1999 की धारा 2(v) में यथापरिभाषित भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा क्रय, धारित और मुक्त रूप से अंतरित की जा सकेंगी ।

10. अंतरण और मोचन की प्रक्रिया -

(i) आईडीआर धारक कोई निवासी आईडीआरों को, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और तत्समय प्रवृत्त अन्य विधियों के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतरित कर सकेगा या देशी निक्षेपागार से इन आईडीआरों का मोचन करने की मांग कर सकेगा ।

(ii) मोचन की दशा में देशी निक्षेपागार विदेशी अभिरक्षक बैंक से तत्स्थानी अधःस्त साधारण शेयरों भारतीय निवासी के हक में सीधे भारतीय निवासी की ओर से विक्रय किए जाने के लिए या भारतीय निवासी के नाम में निर्गमन करने वाली कंपनी के खातों में अंतरित किए जाने के लिए निर्मुक्त कराए जाने का अनुरोध करेगा और ऐसे अनुरोध की एक प्रति सूचना के लिए निर्गमन करने वाली कंपनी को भेजी जाएगी ।

(iii) आईडीआर धारक, किसी समय, ऐसे व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसे उसकी मृत्यु की दशा में उसकी आईडीआर निहित होंगी और इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप 1 का इस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सकेगा ।

11. निरन्तर प्रकटन की अपेक्षा -

(i) निर्गमन करने वाली कंपनी विदेशी अभिरक्षक बैंक और देशी निक्षेपागार को कंपनी के कानूनी संपरीक्षक से या चार्टर्ड अकाउंटेंट से निधियों के उपयोजन के बारे में और प्रास्पेक्टस में किए गए निधियों के उपयोजन की परियोजनाओं से विचलन के बारे में उसके द्वारा अभिप्राप्त प्रमाणपत्र तिमाही अंतरालों पर देगी और भारत में व्यापक रूप से परिचालित अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में से किसी एक में उसे प्रकाशित करेगी या प्रकाशित कराएगी ।

(ii) तिमाही रूप से संपरीक्षित वित्तीय परिणाम तैयार किए जाएंगे और सूचीबद्ध किए जाने की शर्तों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे ।

12. निगम के लाभों का वितरण -

निर्गमन करने वाली कंपनी और देशी निक्षेपागार के बीच करारों में विनिर्दिष्ट रूप में आईडीआरों पर लाभांशों या अन्य निगम कार्रवाईयों की प्राप्ति पर देशी निक्षेपागार उनको आईडीआर धारकों में उनके आईडीआर धारणों के अनुपात में वितरित करेगा ।

13. शास्ति -

यदि कोई कंपनी या कोई अन्य व्यक्ति इन नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा जिसके लिए अधिनियम में कोई दंड उपबंधित नहीं हैं तो कंपनी और कंपनी का ऐसा प्रत्येक अधिकारी जिसने व्यतिक्रम किया है या ऐसा अन्य व्यक्ति जुर्माने से जो आईडीआर निर्गमन के रकम के दुगने तक का हो सकेगा और जहां उल्लंघन जारी रहता है वहां अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, पांच हजार रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

14. निरसन और व्यावृत्ति -

इन नियमों के प्रारंभ पर ऐसे किसी विषय के संबंध में जिसके लिए इन नियमों में उपबंध किया गया है, प्रवृत्त सभी नियम, आदेश या निदेश उन बातों के सिवाय निरसित हो जाएंगे जो ऐसे निरसन से पूर्व की गई थी या किए जाने से जिनका लोप किया गया था ।

15. केन्द्रीय सरकार की कतिपय प्रश्नों का विनिश्चय करने की शक्ति -

यदि इसके लागू होने और निर्वचन के संबध में कोई प्रश्न उदभूत होता है तो ऐसे प्रश्न का विनिश्चय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा ।

अनुसूची

प्रास्पेक्टस में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले विषय

(1) साधारण सूचना

(i) कंपनी के रजिस्ट्राकृत कार्यालय का नाम और पता ;

(ii) देशी निक्षेपागार, विदेशी अभिरक्षक बैंक का, भारत में उसके कार्यालय के पते के साथ, नाम और पता, वाणिज्यक बैंक, निर्गमन करने के लिए हामीदार और किसी ऐसे अन्य मध्यवर्ती का नाम और पता जिसे आईडीआर के निर्गमन के संबंध में नियुक्त किया जा सकेगा ;

(iii) उन स्टाक एक्सचेंजों के नाम और पते जहां आईडीआरों को सूचीबद्ध कराने के लिए आवेदन दिए जाते हैं या दिए जाने का प्रस्ताव है ;

(iv) मिथ्या आवेदनों के लिए दंड से संबंधित उपबंध ;

(v) अधिक प्रतिश्रुति के प्रतिदाय के लिए कथन/घोषणा ;

(vi) आबंटन पत्रों/प्रमाणपत्रों/आईडीआरों के निर्गमन के बारे में अनुबंधित अवधि के भीतर घोषणा ;

(vii) निर्गमन खुलने की तारीख ;

(viii) निर्गमन बंद होने की तारीख ;

(ix) निर्गमन के बंद होने की शीघ्रतम तारीख ;

(x) वाणिज्यिक बैंककार द्वारा हामीदारों के, उनके संबंधित दायित्वों से मुक्त करने के लिए, संसाधनों की पर्याप्तता के संबंध में ऐसा करने की आवश्यकता की दशा में घोषणा ;

(xi) निर्गमन करने वाली कंपनी द्वारा यह कथन कि आईडीआरों के निर्गमन से प्राप्त सभी धन एक पृथक देशी बैंक खाते में अंतरित कर दिए जाएंगे, उस बैंक का नाम और पता तथा उस खाते की प्रकृति और संख्या जिसमें उक्त रकम जमा की जाएगी ;

(xii) आईडीआर निर्गमन के आगमों के प्रस्तावित उपयोजन का ब्यौरा ।

(2) कंपनी की पूंजीगत संरचना

निर्गमन करने वाली कंपनी की प्राधिकृत, निर्गमित, प्रतिश्रुति और समादत्त पूंजी ।

(3) निर्गमन के निबंधन

(i) अधःस्त प्रतिभूतियों के विरूद्ध आईडीआर धारकों के अधिकार ;

(ii) प्रास्पेक्टस और प्ररूपों की उपलब्धता का ब्यौरा अर्थात् तारीख, समय, स्थान आदि ;

(iii) आईडीआरों के निर्गमन की ईप्सा करने की रकम और उसके संदाय का तरीका ; और

(iv) निर्गमन करने वाली कंपनी और भारत में आईडीआर धारकों के लिए कोई विशेष कर सुविधाएं ।

(4) निर्गमन की विशिष्टियां

(i) निर्गमन के उद्देश्य ;

(ii) परियोजना की लागत, यदि कोई हो ; और

(iii) परियोजनाओं के वित्त पोषण के साधन, यदि कोई हों, जिनके अंतर्गत संप्रवर्तकों द्वारा अभिदाय भी हैं ।

(5) कंपनी, प्रबंध और परियोजना

(i) कंपनी का मुख्य उद्देश्य, इतिहास और वर्तमान कारोबार ;

(ii) संप्रवर्तक और उनकी पृष्ठभूमि ;

(iii) कंपनी की समनुषंगियां, यदि कोई हो ;

(iv) प्रबंध/बोर्ड की विशिष्टियां (अर्थात् कंपनी के निदेशकों, प्रबंधक, प्रबंध निदेशक या अन्य मुख्य अधिकारियों के नाम और पूरे पते) ;

(v) परियोजना का अवस्थान, यदि कोई हो ;

(vi) जहां लागू होता हो, संयंत्र और मशीनरी, अवसंरचनात्मक सुविधाओं, प्रौद्योगिकी आदि का ब्यौरा ;

(vii) परियोजना को कार्यान्वित करने की समय सूची और अब तक की गई प्रगति, यदि कोई हो ;

(viii) उत्पादों की प्रकृति, उपभोक्ता, औद्योगिक उपयोगकर्ता ;

(ix) विधिक, वित्तीय और अन्य कमियों, यदि कोई हो, की विशिष्टियां ;

(x) निर्गमन के प्रति कोई जोखिम के कारण, यदि प्रतीत होते हों ; और

(xi) वाणिज्यिक बैंककारों, विदेशी अभिरक्षक बैंक, देशी निक्षेपागार और आईडीआर के निर्गमन से सहबद्ध सभी अन्य मध्यवर्तियों की सहमति ।

(6) रिपोर्ट

(i) कंपनी के वित्तीय परिणामों और वित्तीय स्थिति के बारे में, निर्गमन के खुलने से पूर्व एक सौ बीस दिन से अनधिक की अवधि तक की रिपोर्ट जहां भी उस देश की जिसमें निर्गमन करने वाली कंपनी निगमित है, विधि के अधीन कानूनी संपरीक्षा अपेक्षित है ;

(ii) देशी निक्षेपागार द्वारा प्रास्पेक्टस के जारी किए जाने के ठीक पूर्ववर्ती पांच वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए निर्गमन करने वाली कंपनी के लाभ या हानियों के बारे में और निर्गमन करने वाली कंपनी की उस अंतिम तारीख को जिसको कंपनी के लेखा विनिर्दिष्ट रूप में तैयार किए गए थे, आस्तियों और दायित्वों के बारे में ऐसे लेखापाल द्वारा यथाप्रमाणित रिपोर्ट जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का सदस्य है और जिसके पास व्यवसाय प्रमाण पत्र है ; परंतु निर्गमन की तारीख और रिपोर्ट की तारीख के बीच एक सौ बीस दिन से अधिक का अंतर नहीं होगा ; और

यदि आईडीआर निर्गमन के आगमों का उपयोग अन्य निगमित निकाय (निकायों) में विनिधान के लिए किया जाता है तो ऐसे निगमित निकाय (निकायों) के बारे में निम्नलिखित ब्यौरा दिया जाएगा :-

(क) निगमित निकाय का नाम और पता ;

(ख) उन निगमित निकायों के संबंध में ऊपर खंड (ख) में कथित रिपोर्टें ।

(7) अन्य सूचना

(i) निर्गमन के लिए न्यूनतम प्रतिश्रुति ।

(ii) आईडीआर के निर्गमन में अंतर्वलित मध्यवर्तियों को संदेय फीसें और खर्चे ।

(8) दस्तावेजों का निरीक्षण

वह स्थान जिसपर प्रस्थापना दस्तावेजों, वित्तीय ब्यौरों और उनकी संपरीक्षक की रिपोर्टों का सामान्य कारबार के समय के दौरान निरीक्षण अनुज्ञात किया जाएगा ।

(9) समय समय पर सेबी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य सूचना ।

" प्ररूप सं. 1

(नियम 10 (iii) देखिए)

नामनिर्देशन प्ररूप

(एकल रूप से या संयुक्त रूप से आवेदन करने वाले व्यष्टि (व्यष्टियों) द्वारा भरा जाने वाला)

मैं/हम ....और ....और .... जो मैंसर्स........ .... की आईडीआर जिनकी सं. .. ..है, के धारक हैं, नामनिर्देशन करना चाहते हैं और निम्नलिखित व्यक्ति (व्यक्तियों) को नामनिर्देशित करते हैं जिनमें आईडीआरों के अंतरण के सभी अधिकार और/या उनकी बाबत संदेय रकम मेरी या हमारी मृत्यु की दशा में निहित हो जाएगी ।

नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियों) के नाम और पते

नाम.....................

पता ....

....

....

जन्म तिथि* ....

* (नामनिर्देशिती के अव्यस्क होने की दशा में दी जाए)

** नामनिर्देशिती अव्यस्क है जिसका संरक्षक .... (नाम और पता)............. .... है ।

** (यदि लागू न हो तो काट दें)

हस्ताक्षर : ....

नाम : ....

पता : ....

....

तारीख : ....

हस्ताक्षर : ....

नाम : ....

पता : ....

....

तारीख : ....

हस्ताक्षर : ....

नाम : ....

पता : ....

....

तारीख : ....

साक्षियों के पता, नाम और हस्ताक्षर :

नाम और पता	तारीख सहित हस्ताक्षर
1.	
2.	

अनुदेश :

1. नामनिर्देशन ऐसे व्यष्टियों द्वारा ही किया जा सकता है जो अपनी ओर से अकेले या संयुक्त रूप से आईडीआरों के लिए आवेदन कर रहे हैं या उन्हें धारण कर रहे हैं । गैरव्यष्टिक जिनके अंतर्गत सोसाइटी, न्यास, निगमित निकाय, भागीदारी फर्म, हिन्दू अविभक्त कुटूम्ब का कर्ता, मुख्तारनामा धारक भी है, नामनिर्देशित नहीं कर सकता । यदि आईडीआर संयुक्त रूप से धारित हैं तो सभी संयुक्त धारक नामनिर्देशन प्ररूप पर हस्ताक्षर करेंगे । नमूने के लिए स्थान दिया गया है, यदि संयुक्त धारक अधिक हैं तो आईडीआरों के धारकों और साक्षियों के हस्ताक्षरों के लिए अधिक सीटें जाड़ी जा सकती हैं ।

2. आईडीआरों के धारक द्वारा किसी अव्यस्क को नामनिर्दिष्ट किया जा सकता है और उस दशा में धारक द्वारा संरक्षक का नाम और पता दिया जाएगा ।

3. नामनिर्देशिती कोई न्यास, सोसाइटी, निगमित निकाय, भागीदारी फर्म, हिन्दू अविभक्त कुटूम्ब का कर्ता या मुख्तारनामा का धारक नहीं हो सकता । अनिवासी भारतीय पूनः संप्रत्यावर्तनीय आधार पर नामनिर्देशिती हो सकता है ।

4. आईडीआरों के अंतरण पर नामनिर्देशन खंडित हो जाएगा ।

5. किसी नामनिर्देशिती के हक में आईडीआरों का अंतरण किसी कंपनी द्वारा विधिक वारिश के विरूद्व विधिमान्य उन्मोचन होगा ।

6. नामनिर्देशन के संबंध में सूचना या नामनिर्देशन प्ररूप देशी निक्षेपागार के पास दो प्रतियों में फाइल किया जाएगा जो उसकी एक प्रति आईडीआरों के धारक को लौटा देगा । देशी निक्षेपागार नामनिर्देशन प्ररूप की एक प्रति निर्गमन करने वाली कंपनी को भेज देगा ।

[फा. सं. 1/2/2001-सीएल-V]

जीतेश खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2004

G.S.R. 131(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 642 read with section 605A of the Companies Act, 1956, the Central Government hereby makes the following rules, namely :-

1. **Short Title and Commencement .-**

(i) These Rules may be called the Companies (Issue of Indian Depository Receipts) Rules, 2004.

(ii) They shall come into force from the date of their notification in the Official Gazette.

2. **Applicability .-**

These rules shall apply only to those companies incorporated outside India, whether they have or have not established any place of business in India.

3. **Definitions .-**

(i) (a) "Chief Accounts Officer" means the chief accounts and financial officer of a company, by whatever name known;

(b) "Depository" means a depository as defined in clause (e) of sub-section (1) of section 2 of Depositories Act, 1996;

(c) "Domestic Depository" means custodian of securities registered with the Securities and Exchange Board of India, hereinafter referred to as SEBI and authorised by the issuing company to issue Indian Depository Receipts;

(d) "Indian Depository Receipt" (hereinafter referred to as "IDR") means any instrument in the form of a depository receipt created by Domestic Depository in India against the underlying equity shares of issuing company;

(e) "Issuing company" means a company incorporated outside India, making an issue of IDRs through a domestic depository;

(f) "Merchant Banker" means a Merchant Banker as defined in clause (e) of Rule 2 of SEBI (Merchant Bankers) Rules, 1992;

(g) "Overseas Custodian Bank" means a banking company which is established in a country outside India and has a place of business in India and acts as custodian for the equity shares of issuing company against which IDRs are proposed to be issued after having obtained permission from Ministry of Finance for doing such business in India;

(h) "SEBI" means the Securities and Exchange Board of India established under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

(ii) The words and expressions used herein and not defined, but defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or the Depositories Act, 1996 (22 of 1996) or the Rules and Regulations framed under these Acts, shall have the meaning respectively assigned to them in the respective Acts.

4. Eligibility for issue of IDRs .-

Without prejudice to anything contained in the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, an issuing company may issue IDRs only if it satisfies the following conditions:-

(a) Its pre-issue paid-up capital and free reserves are at least US$ 100 millions and it has had an average turnover of US$ 500 million during the 3 financial years preceding the issue.

(b) It has been making profits for at least five years preceding the issue and has been declaring dividend of not less than 10% each year for the said period.

(c) Its pre-issue debt equity ratio is not more than 2:1.

(d) It shall fulfill the eligibility criteria laid down by SEBI from time to time in this behalf.

5. Procedure for making an issue of IDRs .-

(i) (a) No issuing company shall raise funds in India by issuing IDRs unless it has obtained prior permission from the SEBI.

(b) An application seeking permission under clause (a) shall be made to the SEBI at least 90 days prior to the opening date of the issue, in such form furnishing such information as may be notified from time to time with a non-refundable fee of US $10,000:

Provided that, on permission being granted, an applicant shall pay an issue fee of half a percent of the issue value subject to a minimum of Rs.10 lakhs where the issue is upto Rs.100 crore in Indian rupees:

Provided further where the issue value exceeds Rs.100 crore, every additional value of issue shall be subject to a fee of 0.25 percent of the issue value.

(c) The SEBI may, on receipt of an application, seeking permission under clause (a), call for such further information, and explanations, as may be necessary, for disposal of such application.

(d) The issuing company shall obtain the necessary approvals or exemption from the appropriate authorities from the country of its incorporation under the relevant laws relating to issue of capital, where required.

(e) The issuing company shall appoint an overseas custodian bank, a domestic depository and a merchant banker for the purpose of issue of IDRs.

(f) The issuing company shall deliver the underlying equity shares or cause them to be delivered to an Overseas Custodian Bank and the said bank shall authorize the domestic depository to issue IDRs.

(g) The issuing company shall file through a merchant banker or the domestic depository a due diligence report with the Registrar and with SEBI in the form specified.

(ii) (a) The issuing company shall, through a merchant Banker file a prospectus or letter of offer certified by two authorized signatories of the issuing company, one of whom shall be a whole-time director and other the Chief Accounts Officer, stating the particulars of the resolution of the Board by which it was

approved, with the SEBI and Registrar of Companies, New Delhi, before such issue.

(b) The draft prospectus or draft letter of offer shall be filed with SEBI, through the merchant banker, at least 21 days prior to the filing under clause (a) .

Provided that if within 21 days from the date of submission of draft prospectus or letter of offer, SEBI specifies any changes to be made therein, the prospectus shall not be filed with the SEBI/Registrar of Companies unless such changes have been incorporated therein.

(iii) The issuing company, seeking permission under sub-rule (i) above, shall obtain in-principle listing permission from one or more stock exchanges having nation wide trading terminals in India.

(iv) The issuing company may appoint underwriters registered with SEBI to underwrite the issue of IDRs.

6. Other conditions for the issue of IDRs.-

(i) The repatriation of the proceeds of issue of IDRs shall be subject to laws for the time being in force relating to export of foreign exchange.

(ii) IDRs shall not be redeemable into the underlying equity shares before the expiry of one year period from the date of the issue of the IDRs.

(iii) IDRs issued by any issuing company in any financial year shall not exceed 15 per cent of its paid-up capital and free reserves.

(iv) Notwithstanding the denomination of securities of an issuing company, the IDRs issued by it shall be denominated in Indian Rupees.

7. Registration of documents .-

(i) The Merchant Banker to the issue of IDRs shall deliver for registration the following documents or information to the SEBI and Registrar of Companies at New Delhi, namely:-

(a) instrument constituting or defining the constitution of the issuing company;

(b) the enactments or provisions having the force of law by or under which the incorporation of the issuing company was effected, a copy of such provisions attested by an officer of the company be annexed;

(c) if the issuing company has established place of business in India, address of its principal office in India;

(d) if the issuing company does not establish principal place of business in India, an address in India where the said instrument, enactments or provision or copies thereof are available for public inspection, and if these are not in English, a translation thereof certified by a responsible officer of the issuing company shall be kept for public inspection;

(e) a certified copy of the certificate of incorporation of the issuing company in the country in which it is incorporated;

(f) copies of the agreements entered into between the issuing company, the overseas custodian bank, the domestic depository, which shall inter alia specify the rights to be passed on to the IDR holders;

(g) if any document or any portion thereof required to be filed with the SEBI/ Registrar of Companies is not in English language, a translation of that document or portion thereof in English, certified by a responsible officer of the company to be correct and attested by an authorised officer of the Embassy or Consulate of that country in India, shall be attached to each copy of the document.

(ii) The prospectus to be filed with the SEBI and Registrar under clause (ii) of rule 5 shall contain the particulars as prescribed in Schedule and shall be signed by all the whole-time directors of the issuing company and by the Chief Accounts Officer.

8. Conditions for the issue of prospectus and application .-

(i) No application form for the securities of the issuing company shall be issued unless the form is accompanied by a memorandum containing the salient features of prospectus in the specified form.

(ii) An application form can be issued without the memorandum as specified in clause (i) above if it is issued in connection with an invitation to enter into an underwriting agreement with respect to the IDRs.

(iii) The prospectus for subscription of IDRs of the issuing company which includes a statement purporting to be made by an expert shall not be circulated, issued or distributed in India or abroad unless a statement that the expert has given his written consent to the issue thereof and has not withdrawn such consent before the delivery of a copy of the prospectus to the SEBI and Registrar of Companies, New Delhi, appears on the prospectus.

(iv) The person(s) responsible for issue of the prospectus shall not incur any liability by reason of any non-compliance with or contravention of any provision of this rule, if-

(a) as regards any matter not disclosed, he proves that he had no knowledge thereof; or

(b) the contravention arose in respect of such matters which in the opinion of the Central Government were not material.

9. Listing of Indian Depository Receipt .-

The IDRs issued under this Rule shall be listed on the recognized Stock Exchange(s) in India as specified in clause (iii) of rule 5 and such IDRs may be purchased, possessed and freely transferred by a person resident in India as defined in section 2(v) of Foreign Exchange Management Act, 1999, subject to the provisions of the said Act.

10. Procedure for transfer and redemption .-

(i) A resident holder of IDRs may transfer the IDRs or may ask the Domestic Depository to redeem these IDRs, subject to the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and other laws for the time being in force.

(ii) In case of redemption, Domestic Depository shall request the Overseas Custodian Bank to get the corresponding underlying equity shares released in favour of the Indian resident for being sold directly on behalf of Indian resident, or being transferred in the books of issuing company in the name of Indian resident and a copy of such request shall be sent to the issuing company for information.

(iii) A holder of IDRs may, at any time, nominate a person to whom his IDRs shall vest in the event of his death and Form No: 1 annexed to these rules may be used for this purpose.

11. Continuous Disclosure Requirements.-

(i) The Issuing company shall furnish to the Overseas Custodian Bank and Domestic Depository, a certificate obtained by it from the statutory auditor of the company or a Chartered Accountant about utilization of funds and its variation from the projections of utilization of funds made in the prospectus, if any, in quarterly intervals and shall also publish it or cause to be published in one of the English language newspapers having wide circulation in India.

(ii) The quarterly audited financial results should be prepared and published in newspapers in the manner specified by the listing conditions.

12. Distribution of corporate benefits .-

On the receipt of dividend or other corporate action on the IDRs as specified in the agreements between the issuing company and the Domestic Depository, the Domestic Depository shall distribute them to the IDR holders in proportion to their holdings of IDRs.

13. Penalty .-

If a company or any other person contravenes any provision of these rules for which no punishment is provided in the Act, the company and every officer of the company who is in default or such other person shall be punishable with the fine which may extend to twice the amount of the IDR issue and where the contravention is a continuing one, with a further fine which may extend to five thousand rupees for every day, during which the contravention continues.

14. Repeal and savings .-

On the commencement of these rules, all rules, orders or directions in force in relation to any matter for which provisions are made in these rules shall stand repealed, except as respects things done or omitted to be done before such repeal.

15. Power of Central Government to decide certain Questions :-

If any question arises on the applicability and interpretation, such question shall be decided by the Central Government.

SCHEDULE

Matters to be specified in the Prospectus

(1) General information

(i) Name and address of the registered office of the company;

(ii) name and address of the Domestic Depository, the Overseas Custodian Bank with the address of its office in India, the Merchant Banker, the underwriter to the issue and any other intermediary which may be appointed in connection with the issue of IDRs;

(iii) names and addresses of Stock Exchanges where applications are made or proposed to be made for listing of the IDRs;

(iv) provisions relating to punishment for fictitious applications;

(v) statement/declaration for refund of excess subscription;

(vi) declaration about issue of allotment letters/certificates/ IDRs within the stipulated period;

(vii) date of opening of issue;

(viii) date of closing of issue;

(ix) date of earliest closing of the issue;

(x) declaration by the Merchant Banker with regard to adequacy of resources of underwriters to discharge their respective obligations, in case of being required to do so;

(xi) a statement by the issuing company that all moneys received out of issue of IDRs shall be transferred to a separate domestic bank account, name and address of the bank and the nature and number of the account to which the amount shall be credited;

(xii) the details of proposed utilisation of the proceeds of the IDR issue.

(2) **Capital Structure of the Company**

Authorised, issued, subscribed and paid-up capital of the issuing company.

(3) **Terms of the issue**

(i) Rights of the IDR holders against the underlying securities;

(ii) details of availability of prospectus and forms, i.e., date, time, place etc;

(iii) amount and mode of payment seeking issue of IDRs; and

(iv) any special tax benefits for the issuing company and holders of IDRs in India.

(4) **Particulars of Issue**

(i) Objects of the issue;

(ii) cost of the Project, if any; and

(iii) means of financing the projects, if any including contribution by promoters.

(5) **Company, Management and Project**

(i) Main object, history and present business of the company;

(ii) promoters and their background;

(iii) subsidiaries of the company, if any;

(iv) particulars of the Management / Board (i.e. Name and complete address(es) of Directors, Manager, Managing Director or other principal officers of the company);

(v) location of the project, if any;

(vi) details of plant and machinery, infrastructure facilities, technology etc., where applicable;

(vii) schedule of implementation of project and progress made so far, if applicable;

(viii) nature of product(s), consumer(s), industrial users;

(ix) particulars of legal, financial and other defaults, if any;

(x) risk factors to the issue as perceived; and

(xi) consent of Merchant Bankers, overseas custodian bank, the domestic depository and all other intermediaries associated with the issue of IDRs.

(6) **Report**

(i) Report of the statutory auditor on the financial results and financial status of the company up to a period not being more than 120 days before the opening of the issue, wherever statutory audit is required under the law of the country in which the issuing company is incorporated;

(ii) A report by domestic depository, as certified by an Accountant who is member of Institute of Chartered Accountants of India holding certificate of practice, upon profits or losses of the issuing company for each of the five financial years immediately preceding the issue of prospectus and upon the assets and liabilities of the issuing company at the last date to which the accounts of the company were made in the specified form; provided that the gap between date of issue and date of report shall not be more than 120 days and

iii) If the proceeds of the IDR issue are used for investing in other body(ies) corporate, then following details of such body(ies) corporate shall be given :

a) Name and address(es) of the bodies corporate;

b) The reports stated in clause (a) above in respect of those bodies corporate also.

(7) **Other Information**

i) Minimum subscription for the issue.

ii) Fees and expenses payable to the intermediaries involved in the issue of IDRs.

(8) **Inspection of Documents**

Place at which inspection of the offer documents, the financial statements and auditor's report thereof will be allowed during the normal business hours.

(9) **Any other information as specified by SEBI from time to time.**

573 GI/04-4

"Form No. 1

(see rule 10(iii))

NOMINATION FORM

(to be filled in by individual(s) applying singly or jointly)

I/We ______________________ *and* ______________________ *and*

______________ the holders of IDRs bearing number(s) __________

______________________ of M/s ______________________
wish to make a nomination and do hereby nominate the following person(s) in whom all rights of transfer and/or amount payable in respect of IDRs shall vest in the event of my or our death.

Name(s) and address(es) of nominee(s)

Name: ______________________

Address: ______________________

____

____

Date of Birth* ______________________

*(to be furnished in case the nominee is a minor)

** The nominee is a minor whose guardian is ______________________(name and address)

____

____

____

(** To be deleted if not applicable)

Signature: ____________________

Name :____________________

Address :____________________

____

Date:

Signature: ____________________

Name :____________________

Address :____________________

____

Date

Signature: ____________________

Name :____________________

Address :____________________

____

Date

Address, Name and Signature of witnesses:

Name and Address	Signature with date
1.	
2.	

INSTRUCTIONS:

1. The nomination can be made by individuals only applying/holding IDRs on their own behalf singly or jointly. Non-individual including society, trust, body corporate, partnership firm, Karta of Hindu Undivided Family, holder of power of attorney cannot nominate. If the IDRs are held jointly, all joint holders will sign the nomination form. Space is provided as a specimen, if there are more joint holders more sheets can be added for signatures of holders of IDRs and witness.

2. A minor can be nominated by a holder of IDRs and in that event the name and address of the guardian shall be given by the holder.

3. The nominee shall not be a trust, society, body corporate, partnership firm, Karta of Hindu Undivided Family or a power of attorney holder. A non-resident Indian can be a nominee on re-patriable basis.

4. Nomination stand rescinded upon transfer of IDRs.

5. Transfer of IDRs in favour of a nominee shall be a valid discharge by a company against the legal heir.

6. The intimation regarding nomination or Nomination Form shall be filed in duplicate with Domestic Depository who will return one copy thereof to the holder of IDRs. The Domestic Depository will send a copy of the Nomination Form to the Issuing Company.

[F. No. 1/2/2001-C.L.-V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.